

पत्र सं०-एम-4-33/2006.....10197...वि०,

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना-15, दिनांक-16-11-2023

विषय :- सरकारी सेवकों को पुरस्कृत करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- वित्त विभागीय पत्र सं०-एम०-4-33/2006-5586 दिनांक-25.08.2006

महाशय,

विदित हो कि प्रासंगिक पत्र के आलोक में सरकारी सेवकों को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर माह का सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी (Best employee of the month) घोषित करने एवं उन्हें पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये जाने की व्यवस्था अगस्त 2006 से प्रभावी है। यह व्यवस्था विपरीत परिस्थितियों में भी दायित्वपूर्वक सराहनीय कार्य सम्पादित करने वाले सरकारी सेवकों को चिन्हित कर उनका उत्साहवर्द्धन करने के उद्देश्य से लागू की गई थी, ताकि सरकारी सेवकों की कार्य-कुशलता में उतरोत्तर वृद्धि हो सके । योजना के अंतर्गत पुरस्कार की राशि ₹500/- निर्धारित की गई थी, जो यथावत् है ।

तत्समय प्रभावी प्रावधानों के अनुरूप उक्त योजना से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों को आच्छादित किया गया था। सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-7291 दिनांक-01.06.2018 द्वारा किया गया पदों का वर्गीकरण (समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' एवं अवर्गीकृत के रूप में) प्रभावी होने के पश्चात् समूह-घ के सरकारी सेवक समूह-ग के रूप में नामित हो गये हैं । ऐसी स्थिति में पदों के वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप अपेक्षित संशोधन तथा लंबी अवधि से यथावत् पुरस्कार की राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ।

वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत समूह-ग एवं अवर्गीकृत समूह के वेतन-स्तर (वेतन-स्तर, -1) से आच्छादित सरकारी सेवकों को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की राशि ₹500/- से बढ़ाकर ₹1000/- की जाती है। पुरस्कार हेतु कर्मियों के चयन में संबंधित प्राधिकार द्वारा सरकारी सेवकों में उत्कृष्टता के गुणों को प्राथमिकता देते हुये यह भी संज्ञान रखा जायेगा कि यथासंभव अलग-अलग कर्मियों को यह अवसर प्राप्त हो सके ।

तदनुसार एतदसंबंधी पूर्व निर्गत दिशा-निर्देश को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन) ।

16/11/2023

ज्ञापांक:-एम-4-33/2006...10197.../वि०,

पटना-15, दिनांक...16-11-2023

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

पटना-15, दिनांक...16-11-2023

ज्ञापांक:-एम-4-33/2006...10197.../वि०,

प्रतिलिपि:-माननीय वित्त मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, वित्त के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव (संसाधन)

पटना-15, दिनांक...16-11-2023

ज्ञापांक:-एम-4-33/2006...10197.../वि०,

प्रतिलिपि:-सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन)